छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
एलआईसी परिसर,पंडरी,रायपुर 492004(छ.ग.)दूरभाषः2583789,फैक्सः 0771–2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

# अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 02/तक.–V/2010–11 रायपुर, दिनांक 12/05/2010

मुहरबंद निविदायें फार्म–''ए'' (प्रतिशत दर) पर निम्नलिखित कार्य हेतु इस निगम में वांछित श्रेणी तथा इससे ऊपर श्रेणी में पजीकृत ठेकेदारों से इस निगम द्वारा अंगीकृत (Adopted) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सड़क कार्य हेतु दिनांक 01/04/2010 से जारी एवं निविदा जारी करने की दिनांक तक संशोधित अनुसूचित दर (एस.ओ.आर.) पर दिनांक 21/05/2010 अपरान्ह 3.00 बजे तक सीएसआईडीसी कार्यालय पंडरी, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेंगी :–

| अ.क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की अनुमानित लागत (रू. लाख में) | अमानत राशि | निविदा प्रपत्र मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदाकार की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, सेक्टर–सी, बिलासपुर में राष्ट्रीय राज मार्ग–200 से एस.ई.सी. रेलवे लाईन तक पूर्व निर्मित डब्लू.बी.एम. मुख्य सड़क पर डामरीकरण का कार्य | 38.30 | 28725/– | 1,500/– | 01 माह वर्षाऋतु सहित | अ–2 एवं इससे ऊपर |

शर्तें :–

(1) कोरे निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता केवल उन्हीं ठेकेदारों को होगी जिन्होंने कुल कार्य का कम से कम 50% लागत का समान कार्य एक अनुबंध के तहत्, विगत तीन वर्षों में सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो। इसके लिए उन्हें कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी से जारी कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही वैध अद्यतन वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण–पत्र, जीवित पंजीयन, जीवित साल्वेन्सी एवं टर्न ओव्हर की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के प्र.कार्यपालन अभियंता, तक–5 के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 20/05/2010 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सीएसआईडीसी मुख्यालय, पंडरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(3) उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से एक वर्ष (12 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना है, जिसके लिये कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Gurantee के रूप में रोकी जावेगी तथा वह राशि एक वर्ष तक सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।

(4) कार्य में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा।

(5) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) कार्य निर्धारित/एम.ओ.एस.टी. स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार ही संपादित करना होगा।

(7) निविदा आवेदन के साथ कार्य के लिये रोड़ रोलर, हॉट मिक्स प्लॉंट एवं मेकेनिकल पेवर फिनिशर का स्वामित्व प्रमाण पत्र/किराया का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction work) पर 1% उपकर (सेस) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जायेगी।

(9) निविदा कार्यों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) प्र.कार्यपालन अभियंता, तकनीकी कक्ष–5, सीएसआईडीसी कार्यालय, जीवन बीमा परिसर, पंडरी, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(10) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

प्र. कार्यपालन अभियंता (तक–V)